Exchange

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/561
मुकदमा नम्बर 221/2024 दावा दर्ज दिनांक–09.12.2024

जगदेवाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बडवासी,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. किताब देवी पत्नी स्व. अर्जुनराम
2. नेमीचन्द ढाका
3. सुमेर सिंह पुत्रगण स्व. अर्जुनराम
4. सुप्यार देवी पुत्री स्व. अर्जुनराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बडवासी,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

दावाः– कृषि भूमि का एक्सचेंज करके घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री विजेन्द्र सिह दूत
वकील प्रतिवादी :– सुरेन्द्र भर्रा

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 22.05.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी के कृषि भूमि *ख.नं. 346/190 रकबा 1.04 है0 का वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कृषि भूमि ख.नं. 230* रकबा 0.97 है0 का प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 के कब्जे काश्त व आपसी सहमति के अनुसार उक्त कृषि भूमियों की अल्टा–पल्टी (एक्सचेंज) करके खातेदारी दर्ज की जावे, राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 जरिये वकील श्री सुरेन्द्र भर्रा उपस्थित हो जवाब इकालिया पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 की और से पैरो. राज द्वारा कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया। श.वादी पेश नही करने पर श.वादी बन्द की जाती है।

बहस वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों का दोहराते हुये तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावे का हवाला देते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो एंव एंव वाद के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया।

वादीगण सं. 1 व 2 द्वारा जो भूमि एक्सचेंज/विनिमय की जा रही है वह लगभग समान मात्रा में है तथा विनिमय करने वाले दोनो पक्ष सहमत भी है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 की आपस में आपसी सहमति के आधार पर भूमि की अदला–बदली/विनिमय करके खातेदारी दर्ज कर दी जावे। उक्त भूमि विनिमय के आधार पर ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी के कृषि भूमि ख.नं. 346/190 रकबा 1.04 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार से कृषि भूमि ख.नं. 230 रकबा 0.97 है0 का प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। **वादी व प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 आपस में भूमि की अदला–बदली/विनिमय के अनुसार किया जाकर, नियमानुसार यदि कोई रजिस्ट्रेशन फीस अथवा स्टाम्प ड्यूटी अपेक्षित हो तो वादिगण द्वारा जमा करवाये जाने के पश्चात् ही खाता व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तद्पश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे।** इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Exchange

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024/561

मुकदमा नम्बर 221/2024

दावा दर्ज दिनांक–09.12.2024

(जगदेवाराम बनाम किताब देवी वगै)

दावाः– कृषि भूमि का एक्सचेंज करके घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 की आपस में आपसी सहमति के आधार पर भूमि की अदला–बदली/विनिमय करके खातेदारी दर्ज कर दी जावे। उक्त भूमि विनिमय के आधार पर ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का बडवासी के कृषि भूमि ख.नं. 346/190 रकबा 1.04 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार से कृषि भूमि ख.नं. 230 रकबा 0.97 है0 का प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। **वादी व प्रतिवादीगण 1 लगा. 4 आपस में भूमि की अदला–बदली/विनिमय के अनुसार किया जाकर, नियमानुसार यदि कोई रजिस्ट्रेशन फीस अथवा स्टाम्प ड्यूटी अपेक्षित हो तो वादिगण द्वारा जमा करवाये जाने के पश्चात् ही खाता व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तद्पश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे।** इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। **जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–........... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।**

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 22 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00